अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर
इन्द्रजीत बनाम सायर

तारीख पेशी	2021/00142 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, अधि0 श्री	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
07.07.2021	पत्रावली पेश हुई । विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अपीलांटस ने रेस्पो0 के विरूद्ध अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश किया साथ ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस के दादा एवं दादी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज शामलाती पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजियात ग्राम सुरजपुरा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर में स्थित है । राजस्व अभिलेख में दर्ज आराजियात में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के वारिसान बलवन्त, मस्तान, शैतान, रोशनी का हिस्सा निहित है जिसमें प्रार्थीगण के पिता बलवन्त पुत्र सायर के हिस्से में प्रार्थीगण की माता काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त आराजी में अपीलांटस का हिस्सा निहित है जिस पर जरिये सरक्षंक काता काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु वादग्रस्त आराजियात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अधिकार अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवा ली है । उक्त अवैध इंद्राज के आधार पर अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात के विशेष भू–भाग को अजनबी केतागण को बैचान करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण उक्त कृत्य में सफल हो गये तो अपीलांटस को अपूर्णीय क्षति होगी । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण/रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया किन्तु अधी0न्याया0 ने अप्रार्थीगण/रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने के बजाय अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी करने के आदेश दिनांक 5.7.2021 को पारित किये जबकि अधी0न्याया0 को प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थीगण को वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना चाहिये। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अप्रार्थीगण को वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं अधी0न्याया0 के आदेश का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 5.7.2021 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किये है । अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के अंतरिम आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की है । हम न्यायहित में पक्षकारान के समय एवं आर्थिक मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण इसी स्तर पर अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को 30 दिवस में निर्णित करे । 7/7/2021	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार	पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । आदेश आज दिनांक 07.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । (मेघना चौधरी) राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर	